रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2015/ आषाढ़ 29, 1937
No. 454] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2015/ASHADHA 29, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 564(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. (1) इन नियमों को विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2015 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के अनुबंध-II, क्रम सं. 3 के स्तंभ (4) में ''38 हेक्टेयर'' अंकों और शब्द को ''20 हेक्टेयर'' अंक और शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. सी-5/1/2010- एसईजेड]

डॉ. गुरूप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम तारीख 10 फरवरी, 2006 के सा.का.नि. 54(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और उनमें 2 जनवरी, 2015 के सा.का.नि सं. 5(अ) द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2015

G.S.R. 564(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in Annexure II, in serial number 3, in column (4), for the figures and word "38 hectares", the figures and word "20 hectares" shall be substituted.

[F. No. C. 5/1/2010-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended *vide* number G.S.R. 5(E), dated the 2nd January, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.